

अपमानजनक टिप्पणी हो। परमिशन केंसल हो जाने के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से वह प्रोग्राम करवाया गया। जब वहाँ वाल्मिकी समाजों ने उसका विरोध किया, तो उनके ऊपर लाठी जार्च किया गया और वाल्मिकी वर्ग के नौजवानों को बेतहाशा पीटा गया। वे जख्मी होकर हॉस्पिटल में पड़े हैं।

हम यहाँ आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि इस संबंध में कृपया केन्द्र सरकार पंजाब सरकार को पाबंद करें। जिन अधिकारियों ने वाल्मिकी समाज के नौजवानों के ऊपर लाठी चार्ज किया है, परमिशन रद्द करने के बावजूद धार्मिक समागम करवाया है, धार्मिक जज्बातों पर अटेंक किया है, उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। सेंसर बोर्ड, जो हमेशा नाटकों और फिल्मों में भगवान वाल्मिकी के बारे में ऐसी टिप्पणियों को करने की इजाजत दे देता है, जिसके विरुद्ध भगवान वाल्मिकी में आस्था रखने वाले लोग हमेशा रोष प्रकट करते हैं, उस सेंसर बोर्ड को भी पाबंद किया जाए और भगवान वाल्मिकी जी के आदर और सम्मान को दूसरे संतों और महापुरुषों की तरह कायम किया जाए।

अंत में, हम यहे कहना चाहते हैं कि जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ...**(व्यवधान)...**

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

SPECIAL MENTIONS

Demand to take immediate steps to remove uncertainty over the creation of separate State of Telangana

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am raising a very serious issue. The agitation in Andhra Pradesh for a separate State of Telangana has virtually paralysed the administration in the Capital City, Hyderabad, and the districts falling in the Telangana region. Protests and dharnas have become the order of the day, affecting adversely day-to-day lives of the people. The State Government employees have been on pen-down strike. Students and lawyers have taken to the streets demanding creation of Telangana State. Forty-eight hour total bandh was observed. Transport and other essential services have been seriously affected. Uncertainty is not good for the State. Indecision is affecting the State heavily in terms of development. MLAs and MPs are facing demonstrations. Justice Srikrishna Committee was not having a statutory status, but the Home Minister told us that let us await the report. The report now is with the Central Government. Let the Centre end the uncertainty. The Centre should not turn a blind eye to the volatile situation in the State. It must feel the pulse of the people of the region and take immediate action to end the uncertainty because the State is affected very badly, very negatively. People are agitated. I would urge upon the Chairman and the House to see to it that the Government of India takes an early decision.

Demand to scrap English as compulsory paper in U.P.S.C. Examinations

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज, प्रीलिम्स, 2011 के लिए जो नया पाठ्यक्रम घोषित किया है, उसमें अंग्रेजी विषय अनिवार्य बना दिया गया है। अभी तक इसके दो प्रश्न पत्र थे, एक सामान्य ज्ञान का और दूसरा किसी एक ऐच्छिक विषय का, जिसे विद्यार्थी अपनी रुचि

के अनुसार चुनता था। नयी परीक्षा योजना के तहत इस विषय वाले प्रश्न पत्र के स्थान पर 200 अंकों का एक नया प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से 30 अंक अंग्रेजी समझने की कुशलता के होंगे। हिन्दी व भारतीय भाषाओं को इसमें कोई स्थान नहीं होगा।

यह प्रश्न पत्र ‘qualifying’ नहीं होगा, बल्कि इसके अंक मेरिट में जोड़े जाएंगे, जहां एक-एक अंक निर्णयक सिद्ध होता है। स्पष्ट है कि इस योजना द्वारा अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप से थोपा जा रहा है और हिन्दी, उर्दू तथा अन्य भारतीय भाषाओं के दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए जा रहे हैं।

दुनिया के किसी भी स्वतंत्र देश की प्रशासनिक सेवा परीक्षा में विदेशी भाषा के ज्ञान की अनिवार्यता नहीं है। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी विभिन्न राज्यों में नियुक्त होते हैं, जहां वे संबंधित राज्य की भाषा बोलते और लिखते हैं। इसी प्रकार के उत्तर के अधिकारी भी दक्षिण या पूर्वोत्तर की भाषाओं में कुशलता से कार्य करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मुद्दा अनेक बार उठाया गया कि क्या संघ की सिविल सेवा परीक्षा केवल उन थोड़े से लोगों के लिए है, जो अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करते हैं?

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि संसदीय संकल्प को लागू करते हुए, लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (उत्तर प्रदेश): मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री नंद कुमार साय (छत्तीसगढ़): मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा (बिहार): मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

Demand to re-establish ‘All Party Delegation’ on law and order situation in Jammu and Kashmir

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश): महोदय, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद व अलगाववाद ने यहां के बांशियों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी है। आए दिन आतंकवादियों व अलगाववादियों के हमलों से निर्दोष आम नागरिक सेना, पुलिस व अधिकारी शहीद होते रहते हैं और अरबों रुपए की सरकारी व गैर-सरकारी संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। विशेषकर कश्मीर घाटी के हालात दिन-प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं और अवाम का विश्वास प्रदेश की सरकार व लोकतंत्र से उठ चुका है। कश्मीर के किसानों, कारोबारियों, व्यापारियों, छात्रों-छात्राओं तथा दलितों में घोर निराशा व्याप्त हो गई है।

मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि सौ दिनों में 107 लोगों की जानें कश्मीर घाटी में जाना एक हृदय विदारक घटना से कम नहीं है। लगातार कई महीनों से सम्पूर्ण कश्मीर घाटी में कफर्यू लगा रहा। हालात को सामान्य बनाने के लिए राज्य व केन्द्र सरकार की हर कोशिश नाकाम साबित हुई है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के माथे पर जम्मू-कश्मीर की अनसुलझी समस्या एक कलंक बनी हुई है।

केन्द्र सरकार के प्रयास से एक ऑल पार्टीज डेलीगेशन जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर गया था, जिसने कश्मीर घाटी और जम्मू की इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेकर अपनी राय से केन्द्र सरकार को अवगत गया था, परन्तु केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की गंभीर समस्या को लेकर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, जिसके कारण कश्मीर घाटी व जम्मू के लोगों का विश्वास और टूटा है।